<u>विज्ञप्ति</u>

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या –6221/एडमिन जी–1/2019 इलाहाबाद दिनांकित 14.05.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में जनपद हापुड के परिवार न्यायालय में परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी है , जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 102/सात–न्याय–2–2015–728/86 न्याय अनुभाग–2 अधीनस्थ न्यायालय लखनऊ दिनांकित 18.06.2015 के द्वारा निम्न अहर्ता प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1– आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और समाज सेवा का अनुभवी हो, ऐसे आवेदक को जो सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक काउंसिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो, उसे वरीयता दी जायेगी।

2– आवेदक की आयु इस विज्ञप्ति के जारी होने के दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

3– परामर्शदाता का कार्यकाल 03(तीन) वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03(तीन) वर्ष के लिए उनके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।

4– परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नही मानी जायेगी और वे न्यायलय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

5– नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा।

6– आवेदन–पत्र के प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथा सम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।

7– राज्य सरकार से आई परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।

8– परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

9– जनपद हापुड के आवेदकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी और जनपद हापुड के अर्ह आवेदक उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले के आवेदकों की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

जो पुरुष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हो, वे अपना आवेदन–पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित दिनांक 07.06.2019 को समय सांय 4.00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय हापुड, में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रुप से प्रेषित कर सकते है।

दिनांक 30.05.2019

(विनोद कुमार सिंह ।।।)
जनपद न्यायाधीश,
हापुड।
30/5/19
District Judge
Hapur

<u>प्रतिलिपि</u>–

1– प्रभारी अधिकारी, नजारत, जनपद न्यायालय हापुड को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर, बार एसोसिएशन जनपद न्यायालय हापुड/बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

2– जिला सूचना अधिकारी, हापुड को स्थानीय समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।

3– प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय हापुड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4– सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय हापुड को इस आशय से प्रेषित हो कि वे उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय हापुड व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(विनोद कुमार सिंह ।।।)
जनपद न्यायाधीश,
हापुड।
30/5/19
District Judge
Hapur

जनपद न्यायालय हापुड़ में परिवार न्यायालय हेतु परामर्शदाता पद के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएं।

1. पद का नाम...
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)...
   (अंग्रेजी में)...
3. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)..
   (अंग्रेजी में)...
4. स्थायी आवासीय पताः–...
   ....
5. पत्राचार हेतु पताः–...
   ....
6. जन्मतिथिः–...
7. दिनांक 30.05.2019 को अभ्यर्थी की आयु ....वर्ष..............माह............दिन (जन्मतिथि के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें।)
8. शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण परीक्षाओं का उल्लेख करें और प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

शैक्षिक योग्यता का विवरणः–

कम सं0	परीक्षा/डिग्री	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	टिप्पणी

9. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित है अथवा उसे किसी आपराधिक वाद में दण्डित किया गया है। (यदि है तो उसका उल्लेख करें।)..
   ....

नोटः– यह आवेदन पत्र में अंकित किया जाना आवश्यक है।

10. अनुभव यदि कोई है तो...

घोषणा पत्र

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण/सूचनाएं सत्य हैं और मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। यदि कोई विवरण "सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी नियुक्ति समाप्त कर दी जाये।

संलग्नकों की संख्याः–

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांकः–